दूरभाष : 0135–2719500

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण

राजीव गाँधी बहुउद्देश्यीय कॉम्पलैक्स, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड

e-mail– uhudauk@gmail.com फैक्स : 0135–2719500

पत्रांकः–113 / उडा–109 / EDB / 2016–17 दिनांकः29 .06.2016

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या 837 / V–2–2016–127(आ0) / 15–टी0सी0 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश(निर्माण कार्य विनियमन)अधिनियम, 1958 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–5 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के विनियमित क्षेत्रों हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन–2015) प्रख्यापित किए जाने की स्वीकृति अधिसूचना संख्या 2015 / V / आ0–2015–55(आ0) / 2006–टी0सी0, दिनांक 08.12. 2015 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार भारत सरकार के Ease of Doing Business कार्यक्रम के तहत मानचित्र स्वीकृति का सरलीकरण, वास्तुविद, अभियन्ता के पंजीकरण की व्यवस्था, तृतीय पक्ष के द्वारा निमार्णाधीन भवन का निरीक्षण कराने, पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु पंजीकृत Structural Engineer को अधिकृत करने एवं मानचित्र स्वीकृति से पूर्व संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आदि की व्यवस्था से सम्बन्धित संलग्न प्राविधानुसार भवन निर्माण विकास उपविधि / विनियम, 2011(संशोधन–2015) में संशोधनों को लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति / सहमति प्रदान की गयी है।

उपरोक्तानुसार आदेश तत्काल प्रभावी होंगें।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
मुख्य प्रशासक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2. संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
4. सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5. समस्त लिपिक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
मुख्य प्रशासक